

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. /202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	9/10/24	<p>वाही/जारी द्वारा भूल गद् की जिंजी किर जाने की अनुमति चाहे पर पडावली भूल गद् के साथ आज की पैरी में भी गद्</p> <p>वाही/जारी द्वारा भूल गद् जिंजी किर जाने से आरिज होने से प्रकृषण की भी आरिज सिमा जाता है</p> <p>पडावली केसल १३ माट दो कट नभर में कल दोकट वाशिल वभर दो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>

श्रीकांत डण्डा  
अधीक्षक